

राजस्थान सरकार
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य(ग्रुप-2) विभाग

क्रमांक:-प.3(1)चिस्वा/2/2024/ई-24038

जयपुर, दिनांक

निदेशक(जन स्वास्थ्य)
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाये,
राज0 जयपुर।

विषय:- डॉ0 गोपेश भारद्वाज, कनिष्ठ विशेषज्ञ (नैत्र) स्वैच्छा से अनुपस्थित रहने पर पुनः कार्यग्रहण कराने के संबंध में ।

महोदया,

उपरोक्त विषयान्तर्गत निर्देशानुसार लेख है कि डॉ0 गोपेश भारद्वाज, कनिष्ठ विशेषज्ञ (नैत्र) जो दिनांक 01.12.2022 से स्वैच्छा से अनुपस्थित रहकर पुनः कार्यग्रहण हेतु उपस्थित हुए है को आदेशों की प्रतीक्षा में पुनः कार्यग्रहण कराने की अनुमति इस शर्त पर प्रदान की जाती है कि स्वैच्छा से अनुपस्थित के लिए इनके विरुद्ध सीसीए नियम 16 के तहत कार्यवाही की जावेगी। चिकित्सक आदेशों की प्रतिक्षा में निदेशालय में उपस्थिति प्रस्तुत करेगे।

भवदीया

(निशा मीना)
संयुक्त शासन सचिव

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूर्यनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित

1. विशिष्ट सहायक, माननीय चिकित्सा मंत्री महोदयं
2. निजी सचिव, अति, मुख्य सचिव महोदया, चिकि. एवं .स्वा. विभाग।
3. डॉ0 गोपेश भारद्वाज, कनिष्ठ विशेषज्ञ (नैत्र रोग)
- 4.. रक्षित पत्रावली/कम्प्यूटर सैल

संयुक्त शासन सचिव

Signature valid

RajKaj Ref
6019242



Digitally signed by Nisha Meena
Designation: Joint Secretary To
Government
Date: 2024.03.14 20:46:42 IST
Reason: Approved